

फर्द अहकाम

स्थ उपरवड वी विनारी चण्डूर जिल्हा  
 वनाम सुपार  
 नारायण : ५६/२०१८  
 ता संख्या/वर्ष

आज्ञा विरत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत रूप से
२५/५/२५	<p>पहावती वाने आदेश पेडा हरी वारी ने यह वाद बावन नम्बरा दुस्ती एवं स्यागी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - ४४ एवं १४४ राज. काश्मिरी अधिनियम पेडा कर उद्दि. सरकार जारि तहसीलदार तह. चाकूर जिला जयपुर ग्रामीण पेडा करे।</p> <p>म. न. २५६, २५७, २५८, २६१, २६६/१०५५ किता ५ रकबा १.०१ हे. एवं २३५ रकबा ०.०३ हे. गम सुरक्षित तह. चाकूर का राजस्व नम्बरो में शुद्ध करने की वलतदुआ की है।</p> <p>वारी ने यह वाद राज सरकार के विरुद्ध पेश किया है। अनुलोष की राज्य सरकार लेचा है, इसलिए वारी ने धारा ४०८९ के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार को अग्रिक नोटिस दिया जाना आवश्यक था।</p> <p>वारी की ओर प्रेषण ले ओरि या पत्र अन्तर्गत धारा ४०८९ पेडा नहीं किया है।</p> <p>उपरवड वी विनारी              चाकूर जिल्हा</p>

फर्द अहकाम

स्थ उपरवड वी विनारी चण्डूर जिल्हा  
 वनाम सुपार  
 नारायण : ५६/२०१८  
 ता संख्या/वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत रूप से	दिनांक दिवस
	<p>अतः गुणावगुण पर विचार किए किना यह वाद धारा ४०८९ के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाना है।</p> <p>इसकी पयि जादी है।</p> <p>पहावती के विरुद्ध अग्रिक नोटिस नम्बर लेचा है।</p> <p>३६</p> <p>उपरवड वी विनारी              चाकूर जिल्हा</p>	